शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 21 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 22 – 29 मई 2023 मूल्य पांच रूपए

100 करोड़ की पर्यटन संपत्ति 1.5 करोड की वार्षिक लीज पर क्यों?

- इस लीज के समय बोर्ड के चेयरमैन रामसुभग सिंह और एम डी प्रबोध सक्सेना थे
- मनाली और मण्डी में अलग – अलग नियम क्यों अपनाये गये
- क्या ऐसा किसी बड़े दबाव के कारण हुआ था या कोई अन्य कारण थे
- अब मुख्यमन्त्री सुक्खू के फैसले पर लगी निगाहें

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग की 100 बीघा जमीन पर मनाली के बड़ाग्रां में 45 करोड़ से निर्मित संपत्ति को 1.5 करोड़ की वार्षिक लीज पर दिया जाना क्या भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है। यह सवाल इसलिये उठ रहा है क्योंकि जिस समतल 100 बीघा जमीन पर 28 कमरों, 52 दुकानों, रेस्तरां, डॉरमीट्री, वॉच टावर और पार्किंग स्पेस बना है उस जमीन की अपनी कीमत ही सौ करोड़ कही जाती है। जब यह परिसर बनकर तैयार हुआ और प्राइवेट प्लेयर को लीज पर देने की बात आयी तब इस परिसर को एचपीआईडीबी को दे दिया गया। तब इस इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के चेयरमैन राम सुभाग सिंह थे और एमडी प्रबोध सक्सेना थे। उस समय इस परिसर को एक दीपा साही को 16 वर्ष की लीज पर डेढ़ करोड़ प्रतिवर्ष की दर पर दे दिया गया। यह लीज आगे भी बढ़ाई जा सकती है यह शर्त भी साथ थी। यह लीज देने के लिये Quality Cost Based System का नियम अपनाया गया।

इसमें जो निविदायें आयी उनके मूल्यांकन के लिए एस.डी.एम. की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें तकनीकी पक्ष के लिए 80% अंक और वित्तीय पक्ष के लिए 20% अंक रखे गये। इस कमेटी के सामने जब निविदादाता तकनीकी पक्ष की प्रस्तुति देने गये तो उसी में दीपा साही को 35 अंक और अन्य को दस या उससे भी कम अंक मिले और इस तरह अन्य मानक गौण होकर रह गये। जबकि कन्सल्टैन्सी और अन्य सेवाएं लेने के लिये भारत सरकार द्वारा जो मैन्यूल जारी किया गया है उसके पैरा 3.9 के अनुसार Quality Cost Based System सामान्य मामलों में लागू नहीं किया जाता जहां संपत्ति को लीज पर दिया जाना हो। मण्डी के कन्वैंशन सैन्टर और जंजैहली स्थित पर्यटन संपत्तियों को देने में दूसरा नियम लागू किया गया है। अब अरसे से 1.5 करोड़ देना भी बन्द कर दिया है। दीपा साही अब लीज की शर्तों में इस तरह का परिवर्तन चाहती

चर्चा है कि दीपा साही ने पिछले कुछ है ताकि वह इसी सरकारी संपति पर

ऋण ले सके।

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या सरकार में आपसी तालमेल का अभाव है

- स्वास्थ्य विभाग में संबंधित मंत्री की जानकारी के बिना एनपीए का फैसला
- नियमों में संशोधन किये बिना सहकारी बैंकों का नियंत्रण वित्त विभाग को सौंपना
- मंत्री की पत्रकार वार्ता से पहले ही विभाग को लेकर मुख्यमंत्री का प्रेस नोट आ जाना
- जन चर्चा का विषय बन रहे हैं यह फैसले

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने डॉक्टरों का एनपीए बन्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले से आहत होकर डॉक्टर हड़ताल पर चले गये हैं। सरकार के इस फैसले का स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। क्योंकि एनपीए बन्द होने का अर्थ होगा कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिये स्वतंत्र होंगे। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इस पर उभरे रोष के कारण शुरू हुई हड़ताल का अन्तिम परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आया है। उसके मुताबिक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल को ही इस फैसले की जानकारी नही है। जब मीडिया ने उनसे इस फैसले के बारे में पूछा तो उन्होंने स्वयं कहा कि उन्हें इसकी जानकारी ही नही है। विपक्षी भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री की इस अनभिज्ञता के बारे में सरकार और मंत्री को आड़े हाथों लिया है। इससे भाजपा ने आरोप लगाया है कि एनपीए बन्द करने का मामला मंत्री परिषद की बैठक में लगा था और वहां सरकार ने फैसला लिया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री फैसले की उन्हें जानकारी ही नही होने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें सही में यह याद ही नही रहा है कि उनके विभाग को लेकर कोई ऐसा फैसला लिया गया था या वह मामले को टालने की नीयत से अनभिज्ञता जता रहे थे। इसमें वास्तविकता क्या रही है यह तो मंत्री या सरकार ही स्पष्ट कर पायेंगे। लेकिन इस प्रकरण से आम आदमी में मंत्री और सरकार के बीच तालमेल को लेकर

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश के गौरवशाली इतिहास को पुन: स्थापित करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को विश्व गुरु के रूप में स्वीकार कर रही है और हमें भी इस भावना को स्वीकार करना चाहिए।

राज्यपाल ने यह बात शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में ठाकुर राम सिंह इतिहास शोध संस्थान नेरी द्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. भाग चंद चौहान द्वारा लिखित पुस्तक द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया और डॉ. कंवर चंद्रदीप और राजीव कुमार द्वारा संपादित पुस्तक ऐन एंथोलोजी ऑफ डिस्कोर्सेज ऑन इंडिया का विमोचन किया।

राज्यपाल ने कहा कि आज भारत दुनिया में नवाचार और ज्ञान सृजन में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और प्रौद्योगिकी केंद्र विविध क्षेत्रों में देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति को अपनाकर अपने पूर्वजों की विरासत को अपना रहे हैं, जिससे परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा मिश्रण तैयार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन वेदों को विदेशी आक्रमणकारियों ने चरवाहों की भाषा कहा था, उन पर मैक्स मयूलर जैसे महान व्यक्ति ने विदेशों में ले जाकर शोध किया और हमें उनके बारे में शिक्षित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि उन्हें वर्तमान में जीने की जरूरत है तभी वे आज की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे वर्तमान की सोच से ही समाज और राष्ट्र के प्रति सही सोच अपना सकते हैं।

इससे पूर्व, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के उपाध्यक्ष प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने कहा कि आक्रमणकारियों द्वारा लिखे गए लेखों के आधार पर भारत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इतिहास के कई स्रोत हैं और जब हम उन स्रोतों को जानेंगे तभी हम भारत के इतिहास को समझ पाएंगे।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसी सत्र से यूजीसी नेट, हिंदी का पाठयक्रम शुरू किया जा रहा है।

इस अवसर पर ठाकुर रामसिंह इतिहास शोध संस्थान नेरी के निदेशक डॉ.चेत राम गर्ग ने राज्यपाल का स्वागत किया।

राज्यपाल ने की एनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कीरतपुर-नेरचौक, पंडोह-टकोली और कुल्लू-टकोली परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली।

इस अवसर पर एनएचएआई शिमला के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने राज्यपाल को अवगत कराया कि हनोगी से टकोली तक पांच सुरंगों को परीक्षण के लिए खोला गया है। उन्होंने बताया कि कीरतपुर से नेरचौक के मध्य पांच सुरंगों और 22 बड़े पुलों का काम लगभग पूरा हो चुका है और सेफ्टी ऑडिट का काम चल रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी ने अवगत करवाया कि कीरतपुर से नेरचौक तक पांच सुरंगों के खुलने से यात्रा में 3 घंटे की कमी आएगी और पर्यटकों के अलावा कुल्लू, मनाली, केलांग और रोहतांग जाने वाले स्थानीय नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा और उनकी यात्रा आसान होगी।

राज्यपाल ने प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जा रहे सभी उच्च मार्गों की विस्तृत जानकारी ली तथा क्षेत्रीय अधिकारी को प्रदेश में उच्च मार्ग निर्मित करने के दौरान पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह किरतपुर से नैरचौक तथा पंडोह टकोली भाग के स्थल का शीघ्र ही निरीक्षण करेंगे ताकि उच्च मार्ग की तैयारियां का जायजा लिया जा सके।

बासित ने कहा कि प्रदेश सरकार परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान कर रही है तथा मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर समस्याओं का समाधान करने के लिए समीक्षा बैठकें कर रहे हैं।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में पौधों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा

शिमला/शैल। प्रयोगशालाओं और खेतों के बीच अभिसरण बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। पादप स्वास्थ्य पूरे कृषि-बागवानी क्षेत्र को प्रभावित करता है, इसलिए स्थानीय, स्वदेशी और आधुनिक रणनीतियों की आवश्यकता के एक आदर्श संयोजन की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में चल रही दो दिवसीय 'राष्ट्रीय संगोष्ठी' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए।

संगोष्ठी का आयोजन हिमालयन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसायटी और विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय संस्थानों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कृषि रसायन उद्योगों के पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों पर काम करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

बागवानी सचिव ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि किसानों के अनुभव को व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे ही बहुत अनुभवी है और अंतत: तकनीकों और रणनीतियों को उन्हें ही अपनाना होगा। उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों के मुद्दे को ध्यान में रखने का आग्रह किया और रोपण सामग्री के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि हमें स्वदेशी और आधुनिक तकनीकों के बीच के अंतर को कम करने की जरूरत है और यह जांचने की जरूरत है कि जो प्रथाएं प्रचलित हैं, वे आज के समय में कैसे प्रासंगिक हैं। प्रो. चंदेल ने कहा कि इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे हमारे देश, जिसमें विकसित देशों की तुलना में कम औसत एग्रोकेमिकल उपयोग होता है, के कुछ कृषि उत्पाद में अधिकतम अवशेष स्तर से ऊपर रसायनों के अवशेषों

मिलते हैं और उन्हें निर्यात नहीं किया जा पाता। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण भी दिया, जिसने अपने प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से समर्थित टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक कृषि पद्धति का रास्ता दिखाया है और जिसे हजारों किसानों ने सफलतापूर्वक अपनाया है और कम लागत पर अच्छा लाभ कमाया है।

इससे पहले, प्लांट पैथोलॉजी विभाग की एचओडी डॉ. सुनीता चंदेल ने बताया कि संगोष्ठी का उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करना है और यह फोरम वैज्ञानिकों के बीच पौधों के स्वास्थ्य के महत्व की वकालत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। संगोष्ठी पौधों में संयुक्त तनाव सहिष्णुता को समझने में पारंपरिक और वर्तमान प्रौद्योगिकियों की संभावित भूमिका की रूपरेखा तैयार करेगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैव विविधता की हानि, नए कीटों और रोगों का तेजी से उभरना, मृदा स्वास्थ्य और अन्य चुनौतियों जैसी उभरती हुई पौधों की स्वास्थ्य चुनौतियों को भी विभिन्न सत्रों में संबोधित किया जाएगा।

विश्व जनसंख्या में वृद्धि के साथ, कृषि उत्पादन प्रणालियों पर दबाव भी बढ़ा है और दुनिया भर में टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पौधों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधों को लगातार जैविक और अजैविक कारकों द्वारा चुनौती दी जा रही है जो उपज की गुणवत्ता और मात्रा को कम करते हैं। इस अवसर पर संगोष्ठी का एक स्मारिका और एक पुस्तक का विमोचन किया गया। डॉ धर्मेश गुप्ता द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। निदेशक अनुसंधान डॉ संजीव चौहान, डीन औदयानिकी डॉ मनीष शर्मा, डीन वानिकी डॉ चमन लाल ठाकुर, विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ इंदर देव, डॉ अनिल हांडा और विश्वविद्यालय के सभी वैधानिक अधिकारी और विभाग अध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही बलजीत कौर को सम्मानित किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला की विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही बलजीत कौर को सम्मानित किया। उन्होंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी अद्वितीय उपलब्धियों और उनके साहस की प्रशंसा की। बलजीत कौर की माता शांति देवी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने कहा कि बलजीत कौर ने दुनिया की सबसे उंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि बलजीत कौर ने एक महीने से भी कम समय में माउंट एवरेस्ट सहित आठ हजार मीटर से अधिक उंचाई की अन्य पांच पर्वत चोटियों को फतेह कर अपनी प्रतिभा को साबित किया है। उन्होंने कहा कि बलजीत कौर अपने साहस के बल पर गत अप्रैल माह में अन्नपूर्णा पर्वत चोटी पर सफलता प्राप्त कर घर लौटी हैं, उनका यह साहसिक कार्य प्रेरणादायक है।

इस अवसर पर बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट सहित अपने पर्वतारोहण के अनुभव सांझा किए । उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा विश्व की 10वीं सबसे उंची चोटी है, जिस पर वह बिना ऑक्सीजन के पहुंची। उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन होने के दौरान राज्यपाल द्वारा दूरभाष पर उनके कुशलक्षेम की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका आभार प्रकट किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली में भेंट की। उन्होंने दोनों राज्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने जिला ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के सहयोग से विद्युत आपूर्ति पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की रेणुका और किशाऊ जल विद्युत परियोजनाओं के सांझे जल बंटवारे के समझौते के बारे तथा इनके शीघ्र कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल बंटवारे के संबंध में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के संबंध में भी दिल्ली सरकार से विस्तार से चर्चा की जाएगी।

कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित पुरानी पेंशन बहाली आभार समारोह में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ प्रदान किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के

साथ-साथ कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से आगामी लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र के पास फंसे पैसे वापस लाने के लिए कर्मचारियों को राज्य सरकार का सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं सरकारी कर्मचारी के पुत्र हैं और कर्मचारियों की दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनके आत्म-सम्मान को अधिमान देते हुए मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों ने विकास की गाथा लिखी है और राज्य सरकार उनके योगदान की भरपूर सराहना करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस का पैसा फंसा है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार हर हाल में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में उन्होंने एनपीएस का 9242.60 करोड़ रुपये वापिस करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उठाया जाएगा और कर्मचारियों के सहयोग से अपना हक वापस लेकर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 दिसम्बर, 2022 को कांग्रेस सरकार बनी, तब अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति विकट है, इसलिए राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कभी भी कर्ज के सहारे नहीं चल सकता है। इसलिए सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन-रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के प्रत्येक निवासी पर 92 हजार रुपये से अधिक का कर्ज है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार आने वाले चार वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएगी। राज्य सरकार का पहला बजट इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वाटर सेस लगाया गया है तथा बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से हिमाचल प्रदेश को नुकसान होता है, इसलिए कर्मचारियों को कार्य की गति तेज करनी होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की प्रथा बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य सरकार ने कई ग्रीन इनिशिएटिव भी लिए हैं। ग्रीन हाईड्रोजन के दोहन के साथ-साथ ई-वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तीन वर्षों में एचआरटीसी की सभी डीजल बसों को ई-बसों में परिवर्तित किया जाएगा।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने वायदा किया था कि जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी। ऐसे में हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी पुरानी पेंशन बहाल हुई है।

मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 'आता नहीं, गुजरा हुआ जमाना'। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता दिल्ली जाकर प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा चाहे हमारी गर्दन काट दे, इसके बावजूद सरकार का संकल्प है कि कर्मचारियों को ओपीएस हर हाल में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 10 हजार करोड़ रुपये पर कुंडली मारे बैठी है।

एनपीएसईए के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत करते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए आभार व्यक्त किया। एनपीएसईए ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में 31 लाख रुपये का चैक भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने 102 वर्षीय संसार चंद और उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित भी किया। संतोष कटोच ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 31 हजार रुपये का चैक भेंट किया।

पर्यटन विकास के लिए सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोरःविक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी

और आईटी हब के विकसित तौर पर करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्णायक कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के लिए अच्छी सड़कें और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी जरूरत है। सरकार इसे लेकर बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है।

उन्होंने मटौर-शिमला फोरलेन परियोजना के कार्य की प्रगति का जायजा लेने के उपरांत यह बात कही। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा की पुरानी टनल के समीप फोरलेन परियोजना के तहत निर्माणाधीन सुरंग का निरीक्षण भी किया।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग लेगी, ताकि विकास योजनाएं समय पर पूरी की जा सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एनएचएआई के पठानकोट-मंडी, शिमला-मटौर, कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण के तीन बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेशनल हाईवेज़ के निर्माण में प्रदेश सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रही है। विशेषकर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रदेश के भौगोलिक रूप से कठिन तथा दूरदराज इलाकों में ढांचागत विकास को बल दिया जाएगा। वहां की जरूरत के हिसाब से सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा भवनों के निर्माण के कार्य किए जाएंगे।

SJVNL द्वारा 2470 मेगावाट की चार पम्प स्टोरेज परियोजनाएं चिन्हित

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिव (ऊर्जा) सुन्दर सिंह ठाकुर ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबन्धन के साथ हिमाचल में निगम द्वारा क्रियान्वित जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दो जल विद्युत परियोजनाओं क्रमशः 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी व 412 मेगावाट का रामपुर में संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण-1, 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध व 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है।

उन्होंने कहा कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा 2470 मेगावाट की चार पम्प स्टोरेज परियोजनाएं भी चिन्हित की गई हैं तथा फ्लोटिंग सोलर व ग्रीन हाइड्रोज के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में प्रदेश सरकार की 26.85 प्रतिशत भागीदारी है, जिसके मद्देनजर कम्पनी की निर्देशक मण्डल (बी.ओ.डी) में प्रदेश सरकार के स्थाई सदस्य नामित होने चाहिए, जिसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव भारत सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के हितों की रक्षा करने व आय के स्त्रोतों की बढ़ौतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं ऋण मुक्त हो चुकी हैं उन परियोजनाओं में राज्य को मिलने वाली मुफ्त बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सकता है तथा परियोजनाओं की अनुबन्ध अवधि सरकार द्वारा संशोधित लीज नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

बैठक में ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा, ऊर्जा निदेशक हरिकेश मीणा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड नन्द लाल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जायका परियोजना के माध्यम से विकसित होंगे गुणवतापूर्ण प्रजातियों के 60 लाख पौधेःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित जाईका की वानिकी एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं (एनआरएम) की तीन दिवसीय 12वीं वार्षिक कार्यशाला को धर्मशाला से वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में, राज्य में लगभग 28 प्रतिशत हरित आवरण है और प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिए जाईका द्वारा वित्त पोषित वानिकी और एनआरएम परियोजनाओं ने राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले दो वर्षों में, उन्नत तकनीकों की मदद से 4 हजार 600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पौधारोपण किया गया है। सामुदायिक और वानिकी उद्देश्यों के लिए परियोजनाओं के माध्यम से उच्च गुणवता वाली पौध तैयार करने तथा 60 लाख से अधिक महत्वपूर्ण गुणवतापूर्ण प्रजातियों के पौधे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में 72 नर्सरी का नवीकरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे कृषि प्रधान राज्य में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका और अन्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए वन संसाधनों पर अधिक निर्भर है। जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने पर्यावरण हितैषी संसाधनों और समाधानों की खोज तथा वन संपदा को संरक्षित एवं बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने सात जिलों में 460 ग्राम वन विकास समितियों (वीएफडीएस) और 900 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना के प्रयासों की सराहना की। परियोजना में वन आधारित समुदायों और वन विभाग के कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है। जलवायु परिवर्तन और अन्य आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से 15 हजार से अधिक व्यक्तियों को आजीविका गतिविधियों और वनों के सुधार के दृष्टिगत प्रशिक्षित किया गया है।

हरित और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाना वर्तमान प्रदेश सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार ने कई पहल की हैं। भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि जाईका द्वारा वित्तपोषित परियोजना हिमाचल को हरित राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को परियोजना के दूसरे चरण की तैयारी शुरू करने तथा जो क्षेत्र पहले चरण में शामिल नहीं थे उन्हें सम्मलित करने के लिए कहा।

दूसरे चरण में ई-ऑक्शन प्रणाली की गई 22 प्राधिकरणों में आरम्भ

शिमला/शैल। निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप ने बताया कि संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली के दूसरे चरण को 22 और प्राधिकरणों में शुरू किया जा रहा है, जिसमें पांवटा साहिब, नाहन, नालागढ़, कसौली, धर्मशाला, नूरपुर, ऊना, अम्ब, चम्बा, डलहौजी, बिलासपुर, घुमारवीं, हमीरपुर, बड़सर, मण्डी, बल्ह, कुल्लू, मनाली, केलांग, कल्पा, कुपवीं व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला शामिल हैं। इसके सफल परीक्षण के उपरान्त 5 जून, 2023 से इसे सभी प्राधिकरणों में शुरू कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल पर विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए बोली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। रविवार के दिन विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्हों की बोली का परिणाम पांच बजे के बाद ऑनलाइन स्वतः ही घोषित हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि बोली के लिए पंजीकरण करवाने वाले आवेदनकर्ता को विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए निर्धारित आधार मूल्य का 30 प्रतिशत अग्रिम जमा करवाना अनिवार्य होगा, जो आवेदनकर्ता बोली में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, यदि किसी कारण वह विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि वापिस नहीं होगी। यह राशि सरकारी कोष में जमा होगी। उक्त विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए विभाग द्वारा दोबारा से बोली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के विशेष रजिट्रेशन चिन्ह जारी करने के लिए अपनाई गई ई-ऑक्शन प्रणाली को निलम्बन के बाद संशोधित करके पहले चरण में 16 मई, 2023 को बैजनाथ व शिमला प्राधिकरणों में परीक्षण के आधार पर फिर से शुरू किया गया था।

सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है किंतु फिर भी हर एक सत्य ही होगा । ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कर्ज रेवड़ी और सामाजिक सुरक्षा

क्या कर्ज लेकर सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ वर्गों को रेवड़ीयां बांटना सही है इस सवाल पर अब एक खुली बहस की आवश्यकता हो गई है। आज केन्द्र से लेकर राज्य तक हर सरकार कर्ज में डुबी हुई है। सभी राज्य सरकारें जी.डी.पी. के अनुपात में कर्ज लेने की सीमाएं लांघ चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिये चुनावों से पहले रेवडीयों की एक लम्बी सूची जारी कर देती है। लेकिन यह नहीं बताती कि इन्हें पूरा करने के लिये यह आप के नाम पर कर्ज लेगी। जैसे विधानसभा चुनावों के लिये हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने मुफ्ती की सूचियां जारी की। भाजपा सत्ता में थी और अपने शासनकाल में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पायी थी। इसलिए जनता ने उसके वायदों पर विश्वास नहीं किया कांग्रेस के प्रलोभन कुछ ज्यादा बड़े और लुभावने थे इसलिए उस पर विश्वास करके सत्ता उसको सौंप दी। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सबसे पहले राज्य के नियन्त्रण की हर सेवा और उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये। मंत्री परिषद की करीब हर बैठक के आगे पीछे यह देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ जो चुनाव से पहले दस गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी उन पर स्टैण्ड में बदलाव आ गया। अब यह कहा जाने लगा है कि गारंटियां पांच वर्ष के कार्यकाल में पूरी की जायेंगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिये तो यह कह दिया है कि पहले दो हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे फिर मुफ्त बिजली देंगे। निवर्तमान सरकार अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में दो हजार मेगावाट पैदा नहीं कर पायी है तो यह सरकार कितना कर पायेगी यह आने वाला समय बतायेगा। कर्मचारियों को पुरानी पैन्शन बहाल कर दी गयी है। लेकिन इस बहाली के साथ ही कर्मचारियों से बड़े पैमाने पर दिल्ली कूच करने का आहवान भी कर दिया है। क्योंकि एन.पी.एस. में 9200 करोड़ केंद्र के पास जो प्रदेश का जमा है उसे वापस लेना है। यदि किन्ही कारणों से यह पैसा वापस नहीं मिलता तो ओ.पी.एस. कैसे लागू होगा यह एक बड़ा सवाल होगा। कांग्रेस – भाजपा सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डूबने के आरोप लगाकर सत्ता में आयी थी। सत्ता में आने पर कर्ज के आंकड़े भी जारी किये गये थे । लेकिन जब केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार द्वारा 44 करोड़ कर्ज प्रतिदिन लेने के आंकडे जारी किये तो कर्ज पर उठी बहस आगे नहीं बढ़ी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश को कर्ज में डुबोने के लिये दोनों सरकारें एक ही लाइन पर चल रही हैं। लेकिन सुक्खू सरकार कर्ज के साथ सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी लगातार बढ़ाती जा रही है और यही इस समय आम आदमी के सामने एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि जब कर्ज लेकर और कीमतें बढ़ा कर भी सरकार आम आदमी को राहत न दे पाये तथा न ही गारंटियों को लागू कर पाये तो स्वभाविक रूप से सरकार की प्राथमिकताओं पर नजर जाना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आज सरकार जिस तरह अपने अनुत्पादक खर्चों पर रोक लगाने को तैयार नहीं तब आम आदमी के सामने सरकार के कर्ज लेने की योजनाओं पर अंकुश लगाने की मांग करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा तो समाज के हर व्यक्ति को एक बराबर चाहिये इसे वर्गों में नहीं बांटा जा सकता।

धार्मिक स्वतंत्रता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा का अधिकार

गौतम चौधरी

शिक्षा हर राष्ट्र के समाज को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में, यह किसी भी समाज और देश के विकास का आधार है। द इंडियन एक्सप्रेस के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि हिजाब विवाद के कारण कर्नाटक में मुस्लिम, विशेष रूप से मुस्लिम छात्राओं को सार्वजनिक संस्थानों को छोड़ना पड़ा और निजी कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ा, जो ज्यादातर मुसलमानों के लिए अवहनीय है (जैसा कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट सहित कई रिपोर्टों द्वारा उजागर किया गया है)। इस मामले में केवल अखबार की रिपोर्टिंग ही नहीं, कई व्याख्याकारों ने भी इसे शिक्षा के अधिकार बनाम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बनाने की कोशिश की है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार, कर्नाटक का उडुपी जिला (जो 2022 के हिजाब विरोध का केंद्र था) में सरकारी कॉलेजों से निजी प्री – यूनिवर्सिटी कॉलेजों (पीयूसी) में मुस्लिम छात्रों का बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ। सरकारी पीयूसी में मुस्लिम लड़कों का नामांकन 2022 – 23 (210 से 95 तक) में आधे से कम हो गया है, जबकि पीयूसी में मुस्लिम लड़कियों का नामांकन 91 प्रतिशत (178 से 91) कम हो गया है। ये आंकड़े खतरनाक हैं, क्योंकि बहस अब गुणवत्तापूर्ण सस्ती शिक्षा बनाम अवहनीय शिक्षा से बदलकर शिक्षा बनाम विश्वास हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस), 2014 के अनुसार, 18 से 24 वर्ष की आयु के बीच भारत में 16.6 प्रतिशत पुरुष स्नातक छात्र और 9.5 प्रतिशत महिला स्नातक छात्र उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा, उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण (2019 – 20) ने संकेत दिया कि केवल 66.3 प्रतिशत छात्रों को निजी तौर पर संचालित 78.6 प्रतिशत कॉलेजों द्वारा सेवा दी जाती है। शिक्षा से न केवल व्यक्ति और समुदाय को बल्कि पूरे देश को लाभ होता है।

सच तो यह है कि मुस्लिम माता – पिता, अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शैक्षणिक ऋण सहते हैं। भेदभाव की गलत अवधारणा पाल डर और चिंताओं के बीच अपने बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला दिलवाने का कठोर निर्णय लेते हैं। यह गलत धारणा लंबे समय से बनी हुई है कि मुस्लिम परिवार औपचारिक शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। हालांकि, सच्चर समिति की रिपोर्ट सहित कई अध्ययनों ने इस मिथक को दूर किया है और साबित किया है कि मुस्लिम छात्र और उनके माता – पिता ईमानदारी से अपने बच्चों को शीर्ष स्कूलों में दाखिला दिलाना चाहते हैं, लेकिन कई सामाजिक और आर्थिक दबावों के कारण विवश हो जाते हैं।

एक राष्ट्र की भलाई तभी संभव होता है जब महिलाओं का संसाधनों और विकासात्मक गतिविधियों में मजबूत हस्तक्षेप हो। यदि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में किसी भी तूफान का सामना करने में सक्षम हो तो समझ लो वह राष्ट्र किसी भी मामले में सक्षम और सामर्थ वाला है। अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं महत्वपूर्ण है और अपने धार्मिक दायित्वों की परवाह किए बिना उन्हें अपनी शिक्षा को प्राथमिकता देने की अनुमति देकर अपने महिला अधिकारों का समर्थन कर सकता है क्योंकि शिक्षा एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। सरकार के लिए यह बेहतर होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद आदि जैसे संगठनों को इस मामले में सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें इस बात के लिए प्रेड़ित किया जाए कि वे अपने समुदाय के लोगों के बीच विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता वाली सस्ती शिक्षा और शैक्षणिक संगठनों का प्रचार करें। यही नहीं अपने समुदाय के लिए वे कानूनी लड़ाई का समर्थन भी करें। शिक्षा को उन विवादों से बाधित नहीं होना चाहिए जो राजनीति से प्रेरित हैं और लाखों छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाता हो।

इस मामले में कर्नाटक की छात्रा, तबस्सुम शेख एक उदाहरण हैं। 18 वर्षीय तबस्सुम बेंगलुरु की एक महिला राष्ट्रीय विद्यालय की छात्र है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने जब सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब लगाने पर प्रतिबंध लगा दी तो तबस्सुम ने धार्मिक मान्यताओं की जगह तालीम को प्राथमिकता दी। तबस्सुम पूरे कर्नाटक में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर बोर्ड की टॉपर बन गयी है। इस मामले में तबस्सुम का कहना है, ''तालीम और मान्यता के मामले में मैंने तालीम को चुना। एक सफल व्यक्ति को समाज आदर्श मानता है। मैंने तय किया कि पहले तालीम हासित कर अपने आप को सफल साबित करें फिर मान्यता के बारे में अपनी राय रूढ़ कर लेंगे।'' अब तबस्सुम कई मायने में आदर्श है। वह एक ओर जहां मुस्लिम छात्राओं के लिए आदर्श बन गयी है, वहीं दूसरी ओर राजनीति से प्रेड़ित सरकारी निर्णय लेने वालों को भी आईना दिखा रही है।

भारतीय चिंतन में शिक्षा को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। दक्षिण अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, पाउलो फ्रेरे ने अपनी पुस्तक 'पैडागॉगी ऑफ द ऑपरेस्ड'' में कहा है, ''शिक्षा मूलतः मुक्ति की प्रक्रिया है''। तबस्सुम शेख ने भी वही किया जो उसका धर्म और ईमान उसे निर्देशित करता है। इस्लाम में यह प्रसिद्ध कथा प्रचलित है कि अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन जाने पड़े तो जाना चाहिए। हिजाब को हटाकर तबस्सुम ने शिक्षा को महत्व दिया और आज वह संपूर्ण कर्नाटक की छात्राओं के लिए आदर्श बन गयी है। इस बात का प्रचार होना चाहिए। साथ ही शासन को भी यह सोचना चाहिए कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उस निर्णय का समाज पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

स्मार्ट सिटी–नए शहरी भारत के असल इन्क्यूबेटर हैं:हरदीप एस.पुरी

स्मार्ट सिटी बनाना एक यात्रा है, मंजिल नही

शिमला। आवास एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस.पुरी ने अपने मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों को स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिटी स्तर पर मिशन को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) लागू कर रहा है, इस पथ–प्रदर्शक मिशन की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए परियोजनाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्री ने कहा कि भारत का शहरी भविष्य इन 100 स्मार्ट सिटी में किए जा रहे नवाचारों से काफी आकर्षित होगा।

25 जून, 2015 को प्रारंभ किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य 'स्मार्ट समाधान' के एप्लिकेशन से अपने नागरिकों को प्रमुख अवसंरचना ढांचा, स्वच्छ तथा टिकाऊ पर्यावरण और जीवन की एक समुचित गुणवत्ता प्रदान करना है। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए दो चरण की प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 100 शहर संतोषप्रद प्रगति दिखा रहे हैं।

सचिव, आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में बनी शीर्ष समिति नियमित रूप से वास्तविक समय भौगोलिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस) के माध्यम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की रिपोर्ट करती है। स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के वक्तव्य तथा दिशानिर्देशों के अनुसार, सिटी स्तर पर एक स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (एससीएएफ) की स्थापना की गयी है जो विभिन्न हितधारकों के बीच सलाह देने और सहयोग करने का काम करेगा। इसमें संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, महापौर, जिला कलेक्टर, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ तथा अन्य हितधारक आदि शामिल हैं। सभी 100 स्मार्ट सिटी ने अपने एससीएएफ की

स्थापना की है। अब तक स्मार्ट सिटी द्वारा एससीएएफ की 756 से अधिक बैठकें बुलाई गयी हैं।

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) की स्थापना की गयी है। आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय के स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के बोर्डों में नामित निदेशक नियमित रूप से संबंधित सिटी में प्रगति की निगरानी करते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय वीडियों कान्फ्रेंसों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं आदि के माध्यम से नियमित रूप से राज्यों/सिटी के साथ बातचीत करता है।

समिति ने गोवा में 'मांडोवी रिवरफ्रंट प्रोमेनेड', 'फ्लड मिटिगेशन वर्क्स' तथा एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र सहित विभिन्न परियोजना स्थलों का दौरा किया और 01 मई, 2023 तक वर्तमान स्थिति और प्रगति पर विचार–विमर्श किया। विचार–विमर्श में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मिशन में 1.8 लाख करोड़ रुपये की लगभग 7,800 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 1.1 लाख करोड़ रुपये (मूल्य के हिसाब से 60 प्रतिशत) की 5,700+ परियोजनाएं (संख्या के आधार पर 73 प्रतिशत) की पूरी हो चुकी हैं। शेष सभी परियोजनाओं के 30 जून, 2024 तक पूरा होने की आशा है। बैठक में यह भी बताया गया कि 1 मई, 2023 तक स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 38,400 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 35,261 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

बैठक की अध्यक्षता आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने की। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, राज्यों के सांसद श्री/श्रीमती एमवीवी सत्यनारायण, एकेपी चिनराज, रमेश बिधूड़ी, संजय काका पाटिल, अबीर रंजन बिस्वास, कल्पना सैनी, वंदना चौहान तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कल शाम यहां संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया। सूरत की आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल(इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री दिव्यांक सिंह(कोयम्बटूर स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री एम. प्रताप(आगरा स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री अंकित खंडेलवाल ने भी अपने–अपने यहां अपनाए गए श्रेष्ठ व्यवहारों पर गंभीर प्रस्तुतियाँ दीं।

आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सभी 100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) की सफल तैनाती में मिशन के अग्रणी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईसीसीसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग से बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता का निर्माण करते हैं और विस्तृत एसओपी के माध्यम से दिन–प्रतिदिन के काम/विषयों/अनिवार्यताओं को संभालने के लिए शहरी कार्यों में नागरिक अधिकारियों के लिए समेकित विजुअलाइजेशन प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आईसीसीसी इन स्मार्ट सिटी के प्रमुख केंद्र बन गए हैं और शहरी प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में प्रौद्योगिकी के प्रभावशाली उपयोग का प्रतीक हैं।

श्रीमती कल्पना सैनी ने स्मार्ट सिटी मिशन में और कुछ अधिक जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया जबकि श्रीमती वंदना चौहान ने महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोविड–19 तथा अन्य संकटों के दौरान आईसीसीसी और उनके कामकाज की सराहना की। श्री एकेपी चिनराज ने गतिशीलता, जल तथा अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता सृजन की आवश्यकता पर बल दिया। श्री रमेश बिधूड़ी ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तथा जलवायु स्मार्ट सिटी जैसी अग्रणी रूपरेखाओं के लिए स्मार्ट सिटी पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने की सराहना की। परिणाम–संचालित कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने इस मिशन की अनुकरणीय निर्णायक पहलों को बढ़ाने में व्यापक प्रचार प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

स्मार्ट सिटी मिशन के अधिनियमन ने शहरी विकास क्षेत्र में सुधार, बेहतर आर्थिक मानकों, स्मार्ट गवर्नेंस, जलवायु–संवेदनशील टिकाऊ पर्यावरण, जीवंत सार्वजनिक स्थानों, डिजिटल पहुंच तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम के रूप में नए युग के प्रारंभ को चिह्नित किया और शहरी ढांचे को मजबूत बनाया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय नागरिकों की सेवा में ईज ऑफ लिविंग इंडैक्स को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसानों की आर्थिकी को संबल प्रदान करने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बनाया जा रहा है सुनिश्चित

शिमला। ज़िला में किसानों की आर्थिकी को संबल प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है ।

कृषि उप निदेशक डॉ. कुलदीप धीमान बताते हैं कि ज़िला में कृषि विभाग द्वारा किसानों की फसल पैदावार को और अधिक बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधरी किस्मों के बीज अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ।

जारी वित्त वर्ष के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए बीजों की जानकारी देते हुए डॉ.कुलदीप धीमान बताते हैं कि ज़िला में 1786 किवंटल गेहूं का बीज, 2246 किवंटल मक्की का बीज , 127.6 किवंटल धान का बीज तथा फसल विविधीकरण के लिए 1742 किवंटल आलू, 2052 किवंटल मटर और 45.28 किवंटल विभिन्न सब्जियों के बीज अनुदान पर उपलब्ध करवाए गए हैं । इसके तहत ज़िला में लगभग 38 हजार किसानों को 245 लाख रूपये का अनुदान उपलब्धा करवाकर लाभान्वित किया गया है।

वे यह भी बताते हैं कि ज़िला में नवाचार पहल करते हुए किसानों को 5600 हींग के पौधे और 27.6 किवंटल केसर के बीज के कन्द उपलब्ध करवाए गए हैं । इससे ज़िला के 139 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

किसानों की फसल पैदावार में लागत कम करने तथा खेती से संबंधित कार्यों को सुगमता पूर्व बनाने के लिए मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। डॉ. धीमान का कहना है कि राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना तथा केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत ज़िला में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान किसानों को 13 ट्रैक्टर, 390 पॉवर वीडर, 199 ब्रश कटर पर लगभग 165 लाख रूपये का अनुदान दिया गया है ।

वे आगे बताते हैं कि 80 मक्की के थ्रेशर, 90 घास काटने की मशीन (टोका), 688 टूल किट तथा 900 बीज भण्डारण के ड्रम किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन सभी उपकरणों पर किसानों को 31 मार्च 2023 तक 32 लाख रूपये का अनुदान दिया गया।

साथ में नगदी फसलों के माध्यम से किसानों की आर्थिकी को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए बेमोसमी सब्जी उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए के लिए मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहॉउस परियोजना के अंतर्गत 49 किसानों को पॉलीहॉउस बनाने के लिए 73.29 लाख रूपये का अनुदान दिया गया। जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से फसलों को सुरक्षित रखने के लिए सोलर बाड़ लगाने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत किसानों को मिश्रित बाड़ लगाने के लिए 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ज़िले के किसानों को इस योजना के अंतर्गत 22 सोलर बाड़ लगाने हेतु 54.20 लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध करवाया गया। उसके साथ ओलाबृष्टि से फसलों को बचाने के लिए 77 किसानों को 57.10 लाख रूपये के अनुदान से एंटी हेल नेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई।

इसी तरह विभाग की विभिन्न सिंचाई योजनाओं के तहत 31 मार्च 2023 तक सिंचाई की पाइपों, कूहलों, सिंचाई टैंकों इत्यादि के निर्माण पर लगभग 410 लाख रूपये व्यय किये।

डॉ. कुलदीप धीमान का यह भी कहना है कि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए सभी किसान अपने खेतों में कम से कम एक या 2 खेतों में पोषक अनाजों की खेती अवश्य करें और स्वस्थ रहने के लिए इन अनाजों को अपने भोजन में भी शामिल करें।

वे कहते हैं कि जिला में किसानों को कृषि की नव तकनीकों एवं विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित बनाने के लिए कृषि प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती तकनीक को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्य योजना के तहत व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जा रही है ।

अब तक ज़िला के 14,130 किसान लगभग 1646 हेक्टेयर क्षेत्रफल क्षेत्र में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत विभाग द्वारा ज़िला के किसानों को लगभग 1387 लाख रूपये अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाए गए हैं ।

किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रयास

शिमला। हिमाचल प्रदेश अनुकूल जलवायु, समृद्ध मृदा और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। प्रदेश की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

खेत से सोना उगाने वाले मेहनतकश किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना 'हिम उन्नति' के अन्तर्गत प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में योजना के अन्तर्गत 2,603 क्लस्टर बनाए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश भर में 889 कलस्टर चिन्हित किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश की 58,278 बीघा भूमि को शामिल किया जाएगा। इससे 28,873 परिवार लाभान्वित होंगे।

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एकीकृत कार्य योजना बनाकर कार्य करना सुनिश्चित किया जा रहा है। कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार, राज्य में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों की उत्पादकता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आदर्श भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के माध्यम से इन फसलों की गुणवत्ता स्वाद और पोषण मूल्य को बढ़ाकर मूल्यवर्धन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। शीघ्र खराब होने वाली उपज के लिए प्रशीतित वैन, आपूर्ति श्रृंखला और विपणन को मजबूत करने पर भी बल दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार कृषि की लागत कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए रसायन मुक्त स्वस्थ खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए किसानों को सुभाष पार्लेकर प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वर्तमान में प्रदेश की 3611 पंचायतों के 1,65,221 किसान सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसके उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार जैविक खेती को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार देशी गाय की खरीद पर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विशेष प्राकृतिक कृषक उत्पादक संगठनों को गठित करने पर बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। बैठक में बुनियादी ढांचे और निवेश, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, अनुपालन को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति और वर्ष 2047 तक विकसित भारत विषयों पर चर्चा की गयी।

प्रदेश हित के विभिन्न विषयों को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा एनपीएस के तहत जमा की गई 9,242.60 करोड़ रुपये की राशि को वापस करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने एनपीएस के तहत पिछले विष वर्ष की जमा राशि 1,779 करोड़ रुपये को वर्तमान वित्त वर्ष की उधार सीमा से कम नहीं करने और 27 मार्च, 2023 के निर्णय की समीक्षा का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य पर अगले तीन वर्षों के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने और पहले की स्थिति बहाल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण और भूमि अधिग्रहण लागत को राज्य अंशदान के रूप में मानने का आग्रह किया।

उन्होंने राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग के अलावा रोपवे परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत शामिल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने ई-बसों की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के तहत ओपेक्स मॉडल (परिचालन व्यय) के साथ कैपेक्स मॉडल (पूंजीगत व्यय) का विकल्प प्रदान करने का भी आग्रह किया।

राज्य सरकार की दूरदर्शिता और पहलों से अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित हिमाचल की अवधारणा के तहत पर्यटन विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं और एचआरटीसी की अधिकांश डीजल बसों को आने वाले वर्षों में ई-बसों से बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपये का विश्व बैंक पोषित हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक के साथ अंतिम दौर की चर्चा के बाद जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के प्रयास के अलावा 40,000 प्रत्यक्ष और 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गयी है। इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि से मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष स्थापित किया गया है।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के वर्तमान सरकार के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और नीति आयोग से सहयोग का आग्रह किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी उपस्थित थे।

जन विरोधी निर्णयों के लिये देश से माफी मांगे भाजपाः प्रतिभा सिंह

शिमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल के शासनकाल में ऐसी कोई उपलब्धि नही

रही है जिसका वह जश्न मना सकें। उन्होंने कहा है कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से देश का युवा हताश व निराश हैं। भाजपा को अपने जन विरोधी निर्णयों के लिये देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।

प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल के जश्न पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नोटबन्दी व मनमाने ढंग से जीएसटी लागू करना जैसे तानाशाही निर्णयों ने देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रहार किया है उससे देश में 30 से 40 प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ी हैं। महंगाई का आंकड़ा इस कदर बढ़ा है कि आम व गरीब लोगों को अपना जीवन बसर करना कठिन हो गया हैं। हर साल 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था, वह पूरी तरह झूठा साबित हुआ।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा के इस 9 साल के शासनकाल में जिस प्रकार लोकतंत्र का हनन हुआ है उसके लिए यह देश भाजपा को कभी माफ नही करेगा। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का हनन, संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता का दबाव, विपक्षी दलों की आवाज दबाने व जांच एजंसियों का दुरुपयोग करने के लिये यह 9 साल देश हमेशा याद रखेगा।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इन 9 सालों में देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के उन उपक्रमों को निजी हाथों में बेचकर न केवल देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया है साथ ही इन उपक्रमों में कार्यरत लाखों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा हैं।

प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के उस दावे को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रोहतांग टनल व बिलासपुर में एम्स मोदी सरकार की देन हैं। उन्होंने कहा कि रोहतांग में अटल टनल कांग्रेस की देन है,जबकि बिलासपुर में बने एम्स के लिये तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया था, जबकि 2017 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने प्रदेश में हर घर में स्वच्छ पेयजल का लक्ष्य हासिल कर लिया था। भाजपा प्रदेश के लोगों को गुमराह नही कर सकती।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से जल विद्युत ऊर्जा से जुड़े विषयों पर चर्चा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि शानन परियोजना की 99 वर्ष का लीज एग्रीमेंट मार्च, 2024 में समाप्त हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पंजाब सरकार को लीज अवधि समाप्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश को परियोजना सौंपने के लिये जरूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत करवाया और राज्य के लिए 12 प्रतिशत पानी की रॉयल्टी की मांग की। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के कारण प्रदेश में कई कस्बों को पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा। परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए परन्तु बहुत से विस्थापितों को 50 वर्षों के बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और यह परियोजनाएं देनदारियों से मुक्त हैं। उन्होंने राज्य सरकार को बीबीएमबी की सभी कार्यशील परियोजनाओं में निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी लगाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की दीर्घकालीन लंबित मांग है।

उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में राज्य की रॉयल्टी बढ़ाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों की ऋण अवधि पूर्ण करने वाली परियोजनाओं से निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी हिस्सेदारी प्राप्त की जाती है। इसे मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की सरकार की पहल से भी अवगत कराया और राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कर लाभ सहित प्रोत्साहन प्रदान करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया उपस्थित थे

सक्रियता, मानवीय-दृष्टिकोण एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करें अधिकारीःउप मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी

अधिकारी सक्रियता, मानवीय दृष्टिकोण एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाली अनाधिकृत बसों पर सरकार जल्द ही कानून ला कर नियंत्रण करने जा रही है। इसके तहत उन बसों पर दैनिक 5 हजार, प्रति सप्ताह 25 हजार, महीने का 75 हजार और सालाना 9 लाख रुपए शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जायेगा। शुल्क के माध्यम से प्रदेश को सालाना लगभग 10 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी।

उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में बिना पंजीकरण सरकारी गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों पर लगी हुई प्लेट्स को भी हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में जेसीबी, पोकलेन एवं इसके अतिरिक्त अन्य भारी मशीनरी के पंजीकरण की जांच करने के निर्देश भी दिये ताकि प्रदेश में कर दिए बिना कोई भी मशीन या गाड़ी कार्य न कर सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों के तय लक्ष्य को लगभग 15 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है और जल्द ही तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली 29 मई से पूरे प्रदेश में लागू की जाएंगी। इससे पूर्व प्रारंभिक तौर पर संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली को बैजनाथ और शिमला प्राधिकरण में शुरू की गई थी। सफल परीक्षण के उपरांत यह प्रणाली पूरे प्रदेश में शुरू की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 327 नंबर फैंसी नंबर को ई ऑक्शन प्रणाली के लिए चिन्हित किया गया है, जिसकी दर 10 हजार से एक लाख रुपए तक निर्धारित की गई है।

इस अवसर पर वाहनों पर लगने वाले कर पर भी विस्तृत चर्चा की गयी।

उन्होंने कहा कि मोटर वाहन निरीक्षक को अब चालान करने का अधिकार प्रदान किया जायेगा, जिस से वह वाहनों के निरीक्षण के साथ उनके चालान भी कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में 21 लाख 51 हजार वाहन पंजीकृत है। परिवहन के क्षेत्र में 3 लाख से अधिक एवं 18 लाख से अधिक गैर परिवहन के क्षेत्र में पंजीकृत हैं। प्रदेश में अब तक 15 लाख 12 हजार लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जा चुके है।

उन्होंने कहा कि बद्दी में 16 करोड़ रुपए की लागत से वाहन फिटनेस के लिए निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्यों होनी चाहिये पत्र बम्ब की जांच क्योंकि...

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक बेनामी पत्र के माध्यम से लगाये गये भ्रष्टाचार और यौन शोषण के आरोपों की कोई जांच हो पायेगी? नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता विधायक रणधीर शर्मा अलग-अलग ब्यानों में जांच की मांग कर चुके हैं। सरकार और कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। मुख्यमंत्री का यह ब्यान जरूर आया है कि जयराम जिससे चाहे जांच करवाले। यह एक बेनामी पत्र है और ऐसे ही कई पत्र जयराम सरकार के समय में भी आये थे। जिनकी जांच नहीं करवाई गई थी। इसलिए सुक्खू सरकार को जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कुछ हल्कों में यह तर्क भी गढ़ा जा रहा है। जयराम के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई है। यह सच है और इसी तर्क पर सुक्खू सरकार चल पड़ी है। इसका परिणाम क्या होगा यह आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन सरकारें लोक लाज़ से चलती हैं जो शायद अब बीते समय की बात हो गयी है। पत्र वायरल होकर सामने है और सार्वजनिक संपत्ति बन चुका है। इसलिये इसके तथ्यों पर सवाल उठाना आवश्यक हो जाता है।

- ✔ पटेल इंजीनियरिंग कंपनी पर किरु परियोजना को लेकर 21 जुलाई 2022 में सीबीआई कर चुकी है छापेमारी
- ✔ हिमाचल आने के लिये नया केस दर्ज करने की नहीं होगी आवश्यकता
- ✔ शांग-टांग में हो रही देरी से 2000 करोड़ का प्रतिवर्ष हो रहा नुकसान
- ✔ बैराज क्यों नहीं हो पाया है डिजाईन
- ✔ अखबारों के विज्ञापनों को लेकर जयराम के कार्यकाल में आये सवाल पर अब तक चुप्पी क्यों?
- ✔ एक महिला अधिकारी द्वारा लगाये यौन शोषण के आरोपों पर सरकार चुप क्यों?

शांग-टांग परियोजना और पटेल इंजीनियरिंग कंपनी

शांग-टांग परियोजना का निर्माण कार्य अब जर्मनी की कंपनी के.एफ.डब्ल्यू से लेकर पटेल इंजीनियरिंग के पास है। इसमें 9.5% ब्याज पर पावर फाइनैन्स कारपोरेशन से ऋण लिया जा रहा है। इसके पूरा होने पर प्रतिदिन पांच करोड़ की आय होगी और देरी होने से प्रति वर्ष दो हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। 2025 में तो ट्रांसमिशन को लेकर पावर ग्रिड की पेमेंट भी शुरू हो जायेगी चाहे तब तक परियोजना तैयार हो न हो इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की आर्थिकी के लिये यह कितनी बड़ी बात है। यह योजना काफी पहले तैयार हो जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। लेकिन यह देरी कंपनी के कारण हुई या अधिकारियों के कारण इसकी कोई जिम्मेदारी करने की जगह कंपनी को और समय देना परियोजना में डैवियेशन करने से लागत में वृद्धि होना ऐसे फैक्टर हैं जिनकी जांच होना आवश्यक हो जाता है। जिम्मेदारी तय करने की बजाये समय में बढ़ौती कर देने की एवज में ही भ्रष्टाचार होने के आरोप लग रहे हैं। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के किरु जल विद्युत परियोजना को लेकर भी जुलाई 2022 में सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। कंपनी के इस परिदृश्य में पत्र में लगाये गये आरोपों को हल्के से नहीं लिया जा सकता। इसलिये व्यापक जनहित में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

जागरण समाचार पत्र को लेकर आरोप

जागरण समाचार पत्र की फाइल क्लीयर करने को लेकर भी आरोप लगाया गया है। इस आरोप पर स्पष्टीकरण इसलिये आवश्यक हो जाता है क्योंकि जयराम सरकार में विधानसभा में यह प्रश्न पूछा गया था कि किस अखबार को कितने-कितने विज्ञापन दिये गये हैं। इस साधारण प्रश्न का जवाब पिछली सरकार के कार्यकाल के अंतिम चार सत्रों में यही कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जयराम सरकार के समय में यह सूचना विधानसभा के पटल पर नहीं आयी। अब सक्खू सरकार के बजट सत्र में यह प्रश्न आया ही नहीं। स्वभाविक है कि सदन में उसी प्रश्न का जवाब टाला जाता है जिसमें सब कुछ नियमानुसार न हो। ऐसे यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वह तथ्य क्या थे जिन्हें सरकार पटल पर नहीं रखना चाहती थी और सुक्खू सरकार ने भी इस ओर से आंखें बन्द कर ली है। शायद कई करोड़ों का मामला था। मीडिया को लेकर सुक्खू सरकार छः माह में कोई नीति नहीं बना पायी है। जबकि इस सरकार ने तो कैबिनेट रैंक में एक मीडिया सलाहकार भी नियुक्त कर रखा है। मीडिया सलाहकार के साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का काम देखने के लिये एक मुख्य संसदीय सचिव भी नियुक्त है। लेकिन छः माह में यह लोग सारे मीडिया के साथ एक औपचारिक बैठक तक नहीं कर पाये हैं। इसलिये एक समाचार पत्र की फाइल क्लीयर करने के लिये लग रहे आरोपों की यह सच्चाई सामने आनी ही चाहिये की वास्तविकता क्या है।

महिला अधिकारी के यौन शोषण का आरोप

इस बेनामी पत्र में एक महिला अधिकारी द्वारा उसका यौन शोषण किये जाने की शिकायत मुख्यमंत्री के यहां लंबित होने का आरोप भी दर्ज है। किसी सरकार में एक अधिकारी द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाना और उस पर सरकार का खामोश बैठे रहना अपने में बहुत कुछ कह जाता है। क्योंकि सामान्यतः ऐसे आरोपों पर सरकारें तभी खामोश रहती हैं जब उसे यह लगे कि ऐसा आरोप लगाना अधिकारी का स्वभाव ही बन गया है। लेकिन इस पत्र के माध्यम से यह आरोप आम आदमी तक पहुंच गया है। यह धारणा बन रही है कि जिस सरकार में एक महिला अधिकारी सुरक्षित नहीं है उसमें सामान्य जन कितना सुरक्षित होगा।

आज सुक्खू सरकार के खिलाफ यह बेनामी पत्र उस समय आया है जब सरकार के उपमुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। कानून के जानकारों के मुताबिक संसदीय सचिवों की नियुक्तियां देर-सवेर रद्द होंगी ही। यह पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित है। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ सीबीआई पहले ही जुलाई 2022 में छापेमारी कर चुकी है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री कार्यालय से यह पत्र सीबीआई तक पहुंच जाता है जो इस परिदृश्य में सीबीआई को हिमाचल आने के लिये कोई नया केस दर्ज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वैसे भी प्रदेश के कुछ मंत्री यह आशंका व्यक्त कर चुके हैं कि अब सीबीआई और ईडी का आना तो लगा ही रहेगा।

क्या सरकार में आपसी

.....पृष्ठ 1 का शेष

सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि इससे पूर्व सहकारिता विभाग को लेकर भी एक अजीब फैसला आया है। सहकारिता विभाग का प्रभार उप-मुख्यमत्री मुकेश अग्निहोत्री को सौपने से पहले प्रदेश के तीनों सहकारी बैंकों हिमाचल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और जोगिन्द्रा को-ऑपरेटिव का कंट्रोल सहकारिता विभाग से निकालकर वित्त विभाग को सौंप दिया गया है। यह बैंक सहकारिता अधिनियम के तहत स्थापित हुये हैं और इन्हीं नियमों से संचालित होते हैं। ऐसे में इनका नियंत्रण वित्त विभाग को सौंपने से पूर्व नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये था जोकि नहीं हुआ है। कुछ हल्कों में इस फैसले को मंत्री पर अविश्वास तक करार दिया जा रहा है। क्योंकि परिवहन विभाग को लेकर कुछ ऐसा ही घट चुका है। परिवहन पर मंत्री की पत्रकार वार्ता से पहले परिवहन पर ही मुख्यमंत्री का प्रेस नोट जारी कर दिया जाना भी कोई अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। ऐसी घटनाओं से सरकार को लेकर आम आदमी में कोई बहुत अच्छा संकेत और संदेश नहीं जा रहा है। कांग्रेस संगठन और सरकार में भी तालमेल के अभाव की चर्चाएं अब उठने लग पड़ी हैं। पत्र बम्ब फूटने शुरू हो गये हैं। सरकार जनता को अभी कोई राहत दे नहीं पायी है। संगठन के लोगों को भी छः माह में सरकार में कोई बड़ा मान सम्मान नही मिल पाया है। यह सरकार भी कुछ लोगों में घिर कर रह गयी है। यह चर्चाएं उठना शुरू हो गयी है।

100 करोड़ की

.....पृष्ठ 1 का शेष

अब इस आश्य का केस बनाकर शायद मुख्यमंत्री तक भेजा जा रहा है ताकि उनकी संस्तुति भी हासिल की जा सके। संयोगवश जिस समय यह लीज साईन हुई थी उस समय प्रबोध सक्सेना हिमाचल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के एम.डी. थे और आज मुख्य सचिव होने के नाते इसी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मनाली का यह परिसर स्पैन रिजॉर्ट के साथ लगता है। इसलिये यह सवाल उठ रहे हैं कि उस समय किसके दबाव में इस इतनी बड़ी प्राइम प्रापर्टी को इतने कम पर लीज पर दिया गया। यही नहीं मनाली की प्रॉपर्टी को इतने कम पर लीज पर देने के लिये अलग नियम अपनाया गया और मण्डी व जन्जैहली की संपत्तियों के लिये अलग। एक ही पर्यटन विभाग की दो संपत्तियों को लीज पर देने के लिए दो अलग-अलग नियम क्यों अपनाये गये? क्या यह संपत्तियां प्राइवेट सैक्टर को देने के लिये ही कर्ज लेकर बनायी गयी थी।